न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 173/2013 **दायरा दिनांक : 14.08.2013**

उनवान

1— मदनलाल पुत्र देवा, जाति मेघवाल, निवासी सीमली, आसु 55 वर्ष,

2— जितेन्द्र पुत्र मदनलाल नाबा0 जर्ये वली पिता मदनलाल पुत्र देवा, जाति मेघवाल, निवासी सीमली,

3— शक्तिमान पुत्र मदनलाल, नाबा0 जर्ये वली पिता मदनलाल पुत्र देवा, जाति मेघवाल, निवासी सीमली,

4— राजेश पुत्री मदनलाल पत्नी महावीर, जाति मेघवाल, निवासी अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रिंकेश बेवा रामावतार, जाति मेधवाली, निवासी सीमली

2— प्रिंस पुत्र रामावतार नाबा0 जर्ये वली माता रिंकेश मेघवाल, निवासी सीमली

3— जानकी बाई पुत्री देवा पत्नी बंशीलाल, जाति मेघवाल

4— रामरेख पुत्री मदनलाल पत्नी रामहेत, जाति मेघवाल,

5— रामकिशन पुत्र देवा, जाति मेघवाल, निवासी सीमली

6— रीना पुत्री मदनलाल पत्नी चेतनप्रकाश, जाति मेघवाल, निवासी टाकरवाडा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र सोमानी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मदन गोपाल केवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.03.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 81/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 और 2 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सीमली तहसील बारां में आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा 288/1009 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 438 रकबा 1.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 943 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 957 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.94 हेक्टर, खसरा नम्बर 961 रकबा 2.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 962 रकबा 0.63 हेक्टर, कुल 9 किता की 6.83 हेक्टर व खाता संख्या 224 पुराना 232 खसरा नम्बर 981 रकबा 2.36 हेक्टर व खाता संख्या 226 पुराना 95, 96 खसरा नम्बर 959 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर

1043/701 रकबा 0.07 हेक्टर कुल 0.32 हेक्टर आराजी स्थित है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा है । प्रतिवादी नम्बर 2 की पत्नी का देहान्त सन् 1992 में हो चुका है और उनके पुत्र का भी स्वर्गवास हो चुका है । उनके पुत्र रामवतार के उत्तराधिकारी वादीगण हैं । प्रतिवादी नम्बर 2 को 1/3 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ था जिसमें से 1/2 अर्थात 1/6 हिस्से को वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं । तद्नुसार वादीगण का दावा डिक्री कर वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर आराजी पृथक से दर्ज की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.03.2013 से दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया है और विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मदन लाल के वारिसान को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया है । न तो तनकीयात कायम की गई है और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । पैतृक सम्पत्ति में शादीशुदा पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.07.2013 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तनकीयात कायम नहीं की है । बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित किया है तथा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । जिसकी अपील मेंटेनेबल नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादी नम्बर 2 मदन लाल और उनके वारिसान द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तनकीयात कायम नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक प्रार्थना पत्र रामरेख पुत्री मदनलाल और रानी पुत्री मदनलाल के द्वारा भी पेश किया गया है और उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि मदनलाल कि वो वारिस है परन्तु उन्हें दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वो मदन लाल के वारिस होने के नाते वो इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और जब

तक इकबालिया जवाबदावा नहीं दिया जाता तब तक तनकीयात कायम किया जाना और तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ नयायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2013 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाये उनसे जवाबदावा लिया जाये । तनकीयात कायम की जाये । तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाये । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा